फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 204/2024

दाखा देवी **बनाम** गोपाली देवी

ंक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.2024	यह दावा अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन द्वारा बाबत् दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। निर्देशित किया जाता है कि आदेश 5 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से प्रतिवादियों को सम्मन जरिये रजि. डाक करायी जावें, इस हेतु सम्मन जारी होकर वादी को दस्ती दिया जावें। वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को उनकी संख्या के अनुसार सादे कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां उस आदेश की तिथि से सात दिवस के भीतर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश हो। उपर्युक्तानुसार सम्मन जारी होकर इन्तजार तामील दिनांक 28.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई गई, न ही न्यायालय फीस/ डाक महसूल समय पर दिया गया है। अतः दावा आदेश 9 नियम 2 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	